लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2779

जिसका उत्तर बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा

'डार्क स्टोर्स' पर छापे

2779. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 'डार्क स्टोर्स' द्वारा उचित मानकों का पालन नहीं करने के मुद्दे पर कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान 'डार्क स्टोर्स' पर राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में किए गए कुल छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन कंपनियों के 'डार्क स्टोर्स' स्थापित विनियमों का उल्लंघन करते पाए गए उनका ब्यौरा और सूची क्या है, साथ ही पिछले पांच वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक से और विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्थित कंपनियों से वसूले गए अर्थदंड की कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे किसी 'डार्क स्टोर्स' का संचालन निलंबित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने 'डार्क स्टोर्स' के लिए आवश्यक मानकों के बारे में कोई जागरूकता अभियान चलाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय मानक ब्यूरो ने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों की बाज़ार निगरानी की। विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुसार अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले कुल 344 नमूने खरीदे गए। इनमें से 142 नमूने वैध बीआईएस प्रमाणन के बिना पाए गए।

वित्त वर्ष 2024-25 से, इन उल्लंघनों की जांच के परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के 22 गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में तीन-तीन तलाशी और जब्ती अभियान; राजस्थान और तमिलनाडु में दो-दो तलाशी और जब्ती अभियान; तथा गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में एक-एक तलाशी और जब्ती अभियान शामिल हैं।

जिन गोदामों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई, उनका कंपनी-वार विवरण इस प्रकार है:

(i) अमेज़न – 14 गोदाम

(ii) इंस्टाकार्ट – 7 गोदाम

(iii) ब्लिंकिट – 1 गोदाम

(ङ) और (च): ई-कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर्स पर कई प्रवर्तन छापे आयोजित किए गए है और हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/indianstandards/), फेसबुक (https://www.facebook.com/IndianStandards/) और ट्विटर (X) (https://x.com/IndianStandards) पर बीआईएस के सोशल मीडिया हैंडल्स सहित प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।

*****